कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 232/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.06.2026

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

बहला-फुसलाकर युवती को भगाने व धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

शाहगंज रेलवे स्टेशन से अभियुक्त गिरफ्तार, विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.06.2026 को थाना पवई पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एक युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 131/2026 धारा 87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, बयानों एवं अन्य तथ्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 351(3), 64(1) बीएनएस एवं 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्त **महम्मद उर्फ मोहम्मद अली पुत्र ईसा अंसारी निवासी ग्राम जलालपुर, थाना दारौदा, जनपद सिवान (बिहार)** का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 17.06.2026 को उ0नि0 लालबहादुर बिन्द मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त **महम्मद उर्फ मोहम्मद अली पुत्र ईसा अंसारी निवासी ग्राम जलालपुर, थाना दारौदा, जनपद सिवान (बिहार)** को शाहगंज रेलवे स्टेशन से समय करीब 06:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. महम्मद उर्फ मोहम्मद अली पुत्र ईसा अंसारी, निवासी- ग्राम जलालपुर, थाना दारौदा, जनपद सिवान (बिहार), उम्र- लगभग 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 131/2026 धारा 87, 351(3), 64(1) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 लालबहादुर बिन्द, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
- का0 परीक्षित दूबे, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
- रि0का0 शुभम सिंह, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
- म0रि0का0 ज्योति गुप्ता, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

घर का ताला तोड़कर चोरी करने की घटना का सफल अनावरण, दो अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी की मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन एवं आभूषण बरामद

जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **थाना बरदह पुलिस** को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। **घर का ताला तोड़कर चोरी करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया** है। अभियुक्तों के कब्जे से **चोरी की मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन एवं चोरी गए आभूषण बरामद** किए गए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी शिवम पाठक पुत्र ऋषिकेश पाठक निवासी खर्राट, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि दिनांक 30/31.05.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उनके बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चांदी एवं सोने के आभूषण तथा लगभग 30 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए गए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 200/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त **पंकज पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़** एवं **अमन यादव पुत्र संतोष यादव निवासी ग्राम मूसेपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़** का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी एवं घटना का अनावरण-

दिनांक 17.06.2026 को उ0नि0 मनीष सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए दोनों अभियुक्तों **पंकज पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़** एवं **अमन यादव पुत्र संतोष यादव निवासी ग्राम मूसेपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़** को कुर्थुवा गांव स्थित पुलिया के पास से समय करीब 02:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्तों के कब्जे से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ—

- एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल
- ₹20,400/- नकद
- दो अदद मोबाइल फोन
- एक जोड़ी सफेद धातु छांगल
- दो जोड़ी बिछिया
- दो अदद रिंग (सफेद धातु)
- एक छोटी जन्तर (सफेद धातु)
- एक जोड़ी कान की बाली
- दो अदद पेंच (पीली धातु)
- एक अदद नाक की नथिया (पीली धातु)

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. **पंकज पुत्र अनिल यादव** निवासी ग्राम भदुली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र 20 वर्ष।
2. **अमन यादव पुत्र संतोष यादव** निवासी ग्राम मूसेपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 200/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस तथा बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 मनीष सिंह , थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।
- हे0का0 मुकेश कुमार विश्वकर्मा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।
- रि0आ0 मुकेश यादव , थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।
- रि0आ0 दिलीप यादव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।
- रि0आ0 वेद व्यास तिवारी , थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

10 वर्ष पूर्व जिला कारागार आजमगढ़ से फरार हुए ₹1-1 लाख के दो इनामिया बंदी गिरफ्तार

एसटीएफ लखनऊ एवं थाना सिधारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता

जनपद आजमगढ़ में वांछित एवं इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **एसटीएफ लखनऊ एवं थाना सिधारी पुलिस की संयुक्त टीम** को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। **वर्ष 2016 में जिला कारागार आजमगढ़ से फरार हुए ₹1-1 लाख के पुरस्कार घोषित दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार** कर माननीय न्यायालय भेजा गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2016 को जिला कारागार आजमगढ़ से तीन विचाराधीन बंदी जेल परिसर से फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 157/2016 धारा 223/224 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु अभियुक्त लगातार फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी पर शासन द्वारा ₹1-1 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 17.06.2026 को एसटीएफ लखनऊ एवं थाना सिधारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अथक प्रयास एवं सटीक सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित दो इनामिया/वांछित अभियुक्तों— 01. **चन्द्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र स्व0 लालजी मुसहर 02. प्रकाश मुसहर पुत्र बुद्धन मुसहर को** गिरफ्तार किया गया है। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ में खुलासा-

पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे वर्ष 2016 में अपने साथी के साथ जिला कारागार आजमगढ़ से फरार हो गए थे। फरारी के दौरान वे विभिन्न स्थानों पर छिपकर रहते रहे तथा काफी समय से पंजाब में रहकर मजदूरी एवं खेती का कार्य कर रहे थे। कई वर्षों तक फरार रहने के बाद वे जनपद गाजीपुर जाने के उद्देश्य से आजमगढ़ आए थे, जहां पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. **चन्द्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र स्व0 लालजी मुसहर**, मूल निवासी- लस्करपुर, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी हाल पता- बकैनिया (मनिया), थाना गहमर, जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 37 वर्ष
2. **प्रकाश मुसहर पुत्र बुद्धन मुसहर**, निवासी- दुर्खुसी, थाना मरदह, जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 52 वर्ष

पुलिस टीम का विवरण:-

एसटीएफ लखनऊ-

- निरीक्षक आशुतोष कुमार त्रिपाठी
- निरीक्षक ओम शंकर शुक्ला
- हे0का0 दिलीप कुमार
- हे0का0 कुलदीप सिंह

थाना सिधारी, आजमगढ़-

- निरीक्षक शशिचन्द्र चौधरी
- उ0नि0 जावेद सिद्दीकी
- का0 गौरव जायसवाल
- का0 हिमांशु सिंह बघेल

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

ऑपरेशन वज्रपात के तहत बड़ी कार्रवाई

• सोशल मीडिया पर अवैध असलहा लहराकर दहशत फैलाने वाला गैंग संचालक गिरफ्तार
• इंस्टाग्राम पर "माफिया वैभव 50" नाम से गैंग संचालित करने वाले अभियुक्त पर शिकंजा
• अवैध तमंचा व कारतूस बरामद, आर्म्स एक्ट में भेजा गया न्यायालय

जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान **"ऑपरेशन वज्रपात"** के तहत थाना रानी की सराय पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर "माफिया वैभव 50" नाम से गैंग संचालित कर अवैध असलहे के साथ वीडियो पोस्ट करने तथा समाज में भय एवं अशांति का माहौल उत्पन्न करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण

दिनांक 16.06.2026 को उ0नि0 सूरज तिवारी की तहरीर के आधार पर थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0 163/2026 धारा 9/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ फायरिंग का वीडियो पोस्ट किया गया था, जो व्यापक रूप से वायरल हुआ और आमजन में भय का वातावरण उत्पन्न कर रहा था।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी

दिनांक 16/17.06.2026 की रात्रि में पुलिस टीम द्वारा मंझगांवा हाईवे से ग्राम नीबी जाने वाली सड़क के पास घेराबंदी कर अभियुक्त **वैभव राय पुत्र धनंजय राय निवासी नीबी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष** को समय लगभग 23.44 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 163/2026 धारा 9/25 आयुध अधिनियम, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त
वैभव राय पुत्र धनंजय राय निवासी- नीबी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ उम्र- लगभग 19 वर्ष

बरामदगी
- एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर
- एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 सूरज तिवारी, उ0नि0 शाहिद खान, का0 देवेश गोंड, रि0का0 सरवर आलम, रि0का0 अमन कुमार गुप्ता तथा रि0का0 उपेन्द्र प्रसाद थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ ।

जनपद आजमगढ़ पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध, असामाजिक गतिविधियों एवं भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

जनपद आजमगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस चौकी एलवल के जीर्णोद्धारित भवन का किया उद्घाटन

• थाना कोतवाली परिसर स्थित नवीन मेस (दाल चूरमा) का भी किया लोकार्पण

• वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

• व्यापारियों एवं सम्भ्रान्त नागरिकों के साथ गोष्ठी कर सुनीं समस्याएं

आज दिनांक 17.06.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत पुलिस चौकी एलवल एवं थाना कोतवाली परिसर स्थित नवीन मेस (दाल चूरमा) के जीर्णोद्धारित भवनों का उद्घाटन किया गया।

➡ कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सर्वप्रथम पुलिस चौकी एलवल के जीर्णोद्धारित भवन का उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत पुलिस चौकी परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।

➡ वृक्षारोपण के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं व्यापारियों के साथ गोष्ठी कर उनकी समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को उनके गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

➡ इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना कोतवाली परिसर स्थित नवीन मेस (दाल चूरमा) का उद्घाटन किया गया। मेस का जीर्णोद्धार पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनके कल्याण के उद्देश्य से कराया गया है।

➡ उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त नागरिकों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

➡ इस अवसर पर **अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी** सहित थाना एवं चौकी के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

थाना- कप्तानगंज

• हत्या के अभियुक्त को बचाने के लिए झूठा अपहरण मुकदमा दर्ज कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

• हत्या के मुकदमे से बचने के लिए रची गई थी अपहरण की साजिश, पुलिस जांच में हुआ खुलासा

जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कप्तानगंज पुलिस ने हत्या के एक अभियुक्त को बचाने के उद्देश्य से झूठा अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

घटना का विवरण

थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 182/2026 धारा 140(3) बीएनएस के तहत अपहरण का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त अपहरण की घटना वास्तविक न होकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दर्ज कराया गया झूठा मुकदमा था।

जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि गाजीपुर जनपद में हुई एक हत्या की घटना में नाम आने के बाद पुलिस कार्रवाई से बचने एवं विवेचना को गुमराह करने के उद्देश्य से अपहरण की झूठी कहानी तैयार की गई थी। योजना के तहत संबंधित व्यक्ति ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया तथा परिजनों के साथ मिलकर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 17.06.2026 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर जेहरा-पिपरी तिराहे के पास से अभियुक्त **शैलेश कुमार दुबे पुत्र महेन्द्र नाथ दुबे निवासी ग्राम रूहीपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 47 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

शैलेश कुमार दुबे पुत्र महेन्द्र नाथ दुबे निवासी ग्राम रूहीपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 47 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 182/2026, धारा 238 बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द, का0 मुकेश कुमार यादव एवं रि0का0 धर्मेन्द्र जायसवाल, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

थाना –फूलपुर, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्राड का 5100 रूपया वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता दिनेश कुमार पुत्र रामआसरे निवासी खुरासो थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 01.04.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आनलाइन लैपटाप खरीदने को लेकर शिकायतकर्ता के Union Bank Of India के खाते से 5100 रू0 का साइबर फ्राड कर लिया गया था। जिस पर शिकायतकर्ता दिनेश कुमार द्वारा साइबर हेल्पलाइन 1930/ https://cybercrime.gov.in/ पर कॉल/पंजीकरण करायी गयी जिसका शिकायत संख्या/एकनालेज नम्बर- 33104250038193 है।

रूपया वापसी का विवरणः-

शिकायतकर्ता दिनेश कुमार पुत्र रामआसरे निवासी खुरासो थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा पंजीकृत करायी गयी शिकायत के सम्बन्ध में साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा शिकायत पर कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता दिनेश कुमार उपरोक्त के खाते से निकाले गए 5100 रूपये के सम्बन्ध में नोटिस भेज कर फ्राडस्टर के खाते को फ्रीज कराकर MRM पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित बैंक के नोडल अधिकारी से जरिये इमेल/दूरभाष सम्पर्क कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता दिनेश कुमार उपरोक्त के खाते में 5100 रूपये वापस करा दिया गया है।

साइबर पुलिस टीम का विवरणः-

उ0नि0 दयानन्द

म0आ0 पूजा पाण्डेय

थाना- कोतवाली

• नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

• मुखबिर की सूचना पर शिब्ली इंटर कॉलेज के निकट से पुलिस ने दबोचा

घटना का विवरण

थाना कोतवाली पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 205/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त अभिषेक पुत्र रामवृक्ष उर्फ मचनू निवासी हीरापट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 17.06.2026 को उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त **अभिषेक पुत्र रामवृक्ष उर्फ मचनू निवासी हीरापट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र 21 वर्ष** को शिब्ली इंटर कॉलेज गेट से पहले पाण्डेय बाजार की ओर जाने वाले मार्ग से समय 12:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

अभिषेक पुत्र रामवृक्ष उर्फ मचनू निवासी हीरापट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 205/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, का0 साहिल पाल एवं का0 विशाल यादव, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

• जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

• घटना में प्रयुक्त .32 बोर पिस्टल, कारतूस व खोखा कारतूस बरामद

घटना का विवरण

दिनांक 14.06.2026 को करतालपुर तिराहे पर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किए जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 320/2026 धारा 109(1), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त **मंजीत सिंह पुत्र स्व0 अनिल सिंह निवासी करतालपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़** का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण

दिनांक 17.06.2026 को उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **मंजीत सिंह पुत्र स्व0 अनिल सिंह निवासी करतालपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र 20 वर्ष** को डीहबाबा के पास से समय 03:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद .32 बोर पिस्टल, एक अदद जिंदा कारतूस एवं एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

मंजीत सिंह पुत्र स्व0 अनिल सिंह निवासी करतालपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी

- एक अदद पिस्टल .32 बोर
- एक अदद जिंदा कारतूस .32 बोर
- एक अदद खोखा कारतूस .32 बोर

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 320/2026 धारा 109(1), 115(2), 3(5) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 9/25/27 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 151/2025 धारा 115(2), 3(5), 324(2), 352 बीएनएस, थाना कोतवाली।
2. मु0अ0सं0 316/2025 धारा 115(2), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस, थाना कोतवाली।
3. मु0अ0सं0 320/2026 धारा 109(1), 115(2), 3(5) बीएनएस व 9/25/27 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 रामकिशोर शर्मा (चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान), का0 साहिल पाल, का0 विशाल यादव एवं रि0का0 दिलीप कुशवाहा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, पुलिस कार्यालय आजमगढ़

• नई किरण प्रोजेक्ट के तहत 02 बिखरे परिवारों में कराया गया समझौता

• परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की बैठक में 05 प्रकरणों की हुई सुनवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 17.06.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 05 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन एवं नोटिस के माध्यम से सूचित कर मध्यस्थता हेतु बुलाया गया, जिनमें 04 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

मध्यस्थता के दौरान अथक प्रयास एवं समझाइश के उपरांत 02 पत्रावलियों में पति-पत्नी के मध्य सफल समझौता कराया गया तथा दोनों पक्ष आपसी सहमति से साथ रहने को राजी हुए। अन्य प्रकरणों में वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों से संबंधित शिकायतों पर पक्षकारों की काउंसलिंग की गई। शेष पत्रावलियों में अग्रिम तिथि नियत कर दोनों पक्षों को पुनः नोटिस/फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

नई किरण प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर बिखरे हुए परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ना है। यह पहल परिवारों में नई आशा एवं विश्वास का संचार करने के साथ-साथ माननीय पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

कुल समझौते

1. उमेश यादव पुत्र शिवबचन यादव, निवासी हैदराबाद, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
2. मिन्द्रकला पुत्री लालचन्द राम, निवासी मैगापुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

मध्यस्थता टीम

उ0नि0 सत्यनारायण यादव, उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही संपन्न कराई गई।

कुल समझौते - 02

□ त्रैमासिक निरीक्षण में थाना निजामाबाद की व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा
□ क्षेत्राधिकारी सदर ने आधुनिक पुलिसिंग ऐप एवं पोर्टलों के प्रभावी उपयोग के दिए निर्देश

आज दिनांक 17.06.2026 को क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल द्वारा थाना निजामाबाद का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, जनसुनवाई कक्ष, साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क/मिशन शक्ति, सीसीटीएनएस, सीसीटीवी व्यवस्था, भोजनालय, विवेचना कक्ष, बैरक तथा विभिन्न अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के क्रम में समस्त विवेचकों एवं पुलिस कर्मियों को ई-साक्ष्य ऐप, ई-समन, यक्ष ऐप, साइबर पोर्टल, सीईआईआर पोर्टल, 1090 एवं i-RAD ऐप सहित अन्य आधुनिक तकनीकी संसाधनों का गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी उपयोग करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के रख-रखाव एवं कार्यालयीय कार्यों की समीक्षा की गई तथा व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़
ऑपरेशन वज्रपात: इंस्टाग्राम पर 'पवन माफिया 302307' नाम से आईडी बनाकर क्षेत्र मे दहशत फैलाना

-सोशल मीडिया पर अवैध फोटो/वीडियो पोस्ट कर बना रहा था दबदबा
-' पवन माफिया 302307' नाम से इंस्टाग्राम पर संचालित कर रहा था गैंग
-वायरल फोटो/वीडियो के बाद पुलिस ने अभियुक्त 1.पवन यादव पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम भदुली थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस के तहत किया चलाना
-एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के ऑपरेशन वज्रपात के तहत लगातार जारी है कार्रवाई

आजमगढ़। जनपद में अपराधियों और सोशल मीडिया के माध्यम से दहशत फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन वज्रपात' के तहत सिधारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम पर **पवन माफिया 302307'** नाम से गैंग संचालित करने वाले एक युवक को अन्तर्गत धारा 170 बी0एन0एस0एस के तहत को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित को न्यायालय भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 'पवन माफिया 302307' नाम से संचालित अकाउंट से लगातार ऐसे फोटो व वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे, जिनमें दबंगई दिखाई गई थी। वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल बनने लगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपित की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की।
थाना सिधारी में उपनिरीक्षक जावेद सिद्दिकी द्वारा अभियुक्त को शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170 बी0एन0एस0एस0 के तहत गिरफ्तार किया गया। विवेचना व देख भाल क्षेत्र के दौरान यह तथ्य सामने आया कि फोटो व वीडियो में दिखाई दे रहा युवक अलग अलग तरह तरह का फोटो का प्रयोग कर रहा था और सोशल मीडिया के माध्याम से लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए कमिश्नरेट तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए अपराधी छवि बनाने, हेतु अलग अलग तरह का फोटो सोशल मिडिया पर डालना तथा सोशल मिडिया के माध्यम से आमजन में भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ऑपरेशन वज्रपात के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
जनपद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अपराध को बढ़ावा देने, गैंगस्टर जैसी छवि प्रस्तुत करने अथवा अवैध हथियारों के प्रदर्शन के माध्यम से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन वज्रपात के तहत ऐसे तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की प्रक्रिया लगातार जारी है।